झारखंड

पंचायत चुनाव

2015

अंतरिम रिपोर्ट

Association for Democratic Reforms

मंथन युवा संस्थान

myneta.info National Election Watch

पंचायत चुनाव 2015
अंतरिम रिपोर्ट

पृष्ठभूमि :

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड ने पंचायत चुनाव 2015 की घोषणा की, चार चरणों में चुनाव की तिथि घोषित की गयी, जो नवम्बर 22 से शुरू होकर12 दिसम्बर, 1015 तक चला। स्वच्छ एवं भयमुक्त चुनाव ही लोकतंत्रिक प्रक्रिया की नींव होता है। इसके लिये जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे मतदाता की उसकी जानकारी नहीं होती है कि वोट किसको और कैसे देना है। अतः उन्हें इसकी जानकारी अवश्य मुहैया करायी जाये ताकि वे अपना वोट सही प्रत्याशी को दे सकें।

32 वर्षों के पश्चात 2010 में लम्बे संघर्षों, तमाम बाधाओं को पार कर अंततः झारखंड में पंचायत चुनाव सम्पन्न हो पाया। लोकतंत्र के समर्थकों के लिये हर्ष का एक अन्य कारण था, 50 फीसदी का फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में, लगभग 57 फीसदी महिलाओं ने चुनाव में सफलता हासिल की। लेकतंत्र के इन जमीनी प्रतिनिधियों से आम लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थीं, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये पंच साल की अवधि बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसके लिये मात्र पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा। यह सही है कि ये शासन की कार्य प्रणाली के मामले में थोड़े 'कच्चे' और 'नर्म' थे, लेकिन दूसरी ओर इस व्यस्था को पूर्णरूप से लागू करने में सरकार और विशेषकर नौकरशाहों में 'हिचक' बाकी थी।

तमाम कमियों के बावजूद 2010 के पंचायत चुनाव ने जमीनी स्तर पर लोककंत्र की परम्परा को पुनः स्थापित करने का महती कार्य किया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र परम्परा से ही पोषित होता है। इसी का परिणाम था कि 2010 के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि भावी उम्मीदवार के साथ-साथ आम मतदाता मंथन युवा संस्थान से पंचायत चुनाव सम्बंधी जानकारी हासिल करने के लिये सम्पर्क करने लगे। सबने पाया कि लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह तो है, लेकिन उनमें चुनाव प्रक्रिया, अर्हता आदि सम्बंधी जानकारियों का अभाव है।

अतः हमारे लिये आवश्यक है कि हम मतदाताओं के बीच जाकर जनजागरण अभियान तो अवश्य चलाएं, साथ ही भावी उम्मीदवारी को नामांकन प्रक्रिया सम्बंधी उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिये कार्यशाला आयोजित करें। यक्ष प्रश्न यह था कि इन लाखों भावी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैसे शामिल किया जाये। इतने बड़े पैमाने पर जनजागरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसी एक संस्था द्वारा चलाना न तो व्यावहारिक था और न ही सीमित साधनों द्वारा सम्भव।

उद्देश्य :

- मतदाताओं को जागरूक करना जिससे लोग बिना किसी लाभ के और भयमुक्त होकर वोट डालें।
- मतदाता को त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराना।
- महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी पम्फलेट, पोस्टर, सीडी में गीतों के माध्यम से।
- आदिवसी, अनुसूचित जनजाति/दलित महिला को बढ़ावा देना जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग करें। साथ ही उम्मीदवार/प्रत्याशी बन सके।

रणनीति :

अभियान : टोला, ग्रामसभा बैठक/ग्रामीण स्तरीय स्वयं सहायता समूह/ग्रामीणों एवं अन्य लोगों के वोटिंग करने के तरीके (डमी वोटिंग)
ध्वनि विस्तारक यंत्र/एलसीडी, गीत, बैनर/पोस्टर और पम्फलेट बुकलेट, स्लोगन/नारा
कार्यशाला, सेमिनार, सीधा संवाद आदि

अतः मंथन युवा संस्थान ने झारखंड को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सामाजिक संस्थानों, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का आह्वान किया। मंथन को इस बात का गर्व और सुखी है कि हमें अपेक्षा से कहीं ज्यादा सहयोग झारखंड में कार्यरत संस्थाओं का प्राप्त हुआ। हमारे इस प्रयास को झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ-साथ जिले में कार्यरत अधिकारियों का सकारात्मक सहयोग चुनाव के विभिन्न चरणों में प्राप्त हुआ।

जनजागरण के पारम्परिक तरीकों-कार्यशालाओं और सभा आयोजन, रैली आयोजन, नुक्कड़ सभा, मतदाताओं के साथ सीधे संवाद आदि के साथ-साथ मंथन युवा संस्थान ने पंचायत चुनाव 2015 में पहली बार संचार के नवीनतम माध्यम व्हाट्सअप का उपयोग जागरूकता अभियान में किया। इससे हमें रियल टाइम फीडबैक मिलने लगा। जिससे मंथन युवा संस्थान को चुनाव सम्बंधी समस्याओं के निदान-प्रदान करने में सहायता मिली। व्हाट्सअप के साथ-साथ मंथन युवा संस्थान ने चौबीस घंटे कार्यरत सहायता टेलीफोन नम्बर जारी किया जिसका उपयोग लोगों ने जमकर किया। काफी छोटी अवधि में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 2200 से ज्यादा पंचायतों में जागरण अभियान चलाने में सफल हो पाया। अनगिनत उम्मीदवारों ने चौबीस घंटे चलने वाले सहायता नम्बर से सहायता प्राप्त की।

पूरे जागरूकता अभियान में हमने अपना कार्यक्षेत्र उन पंचायतों को मुख्य रूप से बनाया जो शहर से दूर सघन जंगल में स्थित है तथा जो शहरी आबादी से सामान्यतया कटे हुए हैं। लगभग दो महीने चलने वाले इस अभियान के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उनका क्रमवार ब्यौरा अग्रलिखित है-

क्षेत्र जहां अभियान चलाये गये (जिलावार)

1. रांची जिला के प्रखंड, पंचायत
2. बोकारो
3. साहेबगंज
4. गढ़वा
5. खूंटी/रनिया
6. लोहरदगा
7. गोड्डा
8. जामताड़ा
9. सरायकेला-खरसावां - 9 प्रखंड में - चांडिल, ईचागढ़, नीमडीह, कुडू में (टीआरसीएससी के द्वारा)
   मंथन से - कुचई प्रखंड के मारंगहातु, चुरचुड़, सरायकेला से, गम्हरिया प्रखंड टेन्टोपोसी, हिदीबिली, राजनगर

मतदाता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2015
समारोह स्थल : पिपराडीह पंचायत, कोडरमा

दिनांक 14 अक्तूबर, 2015 को झारखंड पंचायत चुनाव 2015 के मद्देनजर कोडरमा जिले की पिपराडीहा पंचायत में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आगामी पंचायत चुनाव के लिये उम्मीदवार तथा मतदाताओं को जागरूक करना। प्रशिक्षण देने के लिये मुख्य रूप से मंथन युवा संस्थान, रांची से सुश्री शांति सावैयां को आमंत्रित किया गया था।

शांति सावैयां ने बताया कि आज के संदर्भ में पंचायत का क्या महत्व है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्तूबर, 1969 को राजस्थान और आंध्रप्रदेश में हुई। इस के तहत यह सुनिश्चित करने का कोशिश की गयी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा जाये। पंचायती राज व्यवस्था के तहत कई पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, लेकिन आमलोगों की सक्रिय भागीदारी नहीं होने के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पाया। देश और राज्य स्तर पर विकास की योजनाएं बनीं, तीन स्तरों पर पंचायतों का काम शुरू किया गया।

केन्द्र, राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत और ग्रामसभा

पंचायत एक स्थानीय स्वशासन है यानी लोगों का अपना शासन, खुद के लिये खुद के द्वारा संचालित की जाने वाली शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति एक समूह के रूप में अपने सामूहिक हित के मुद्दों पर विचार करे, निर्णय ले और लागू करे। पंचायतों को संविधान एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून के मुताबिक काम करना है। इस व्यवस्था के न्तर्गत लोगों के पास यह अधिकार है कि ग्राम सभा में अपने क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया का निर्धारण खुद कर सके। गांव के लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें, गांव के विकास के लिये योजना खुद बना सकें और खुद लागू करें। ग्राम पंचायत पंचायत राज का सबसे जमीनी संस्थागत स्वरूप है। यही एक मात्र विशुद्ध निर्वाचित संसदस्यों की संस्था है। जिसमें संस्था के प्रधान, मुखिया भी सीधे जनता से चुनकर आते हैं। इसमें बाहर का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता।

नयी पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज के चार स्तम्भ हैं –

ग्रामसभा गांव की लोकतांत्रिक शक्ति और कार्यक्रम की गतिविधियों का केन्द्र है। किसी राजस्व गांव में एक या एक से अधिक ग्रामसभा हो सकती है। यह सभा टोला या टोलों के समूह पर बनायी जा सकती है। जो परम्परा एवं रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यों को करने का अधिकार रखती है। अनुसूचित क्षेत्र में मुंडा/ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्य ग्रामसबा के सदस्य होते हैं।

सामान्य क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्येक राजस्व गांव एवं टोलों के सभी मतदाताओं को मिलाकर 18 वर्ष सी ऊपर बनने वाला समूह ग्रामसभा कहलाता है। किसी राजस्व गांव के वैसे सभी निवासी जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज है, सभी ग्रामसभा के सदस्य हैं। ('प्रदान' के अनुसार)

इसके बाद शांति सावैयां ने चुनाव प्रक्रिया, आचार संहिता एवं अन्य सामान्य जानकारी दी, जैसे– किसी मतदाता या उम्मीदवार या व्यक्ति किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की गयी। इस चर्चा में सबसे अधिक परेशानी वैसे उम्मीदवारों को हो रही है जो ओ.पी.सी./आदिवासी हैं, गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। अक्सर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा की गयी।

दोपहर के बाद चुनाव प्रक्रिया से संबंधित चर्चाएं की गयीं, जैसे–

- नामांकन की तारीख, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, नामांकन रद्द होने के क्या–क्या कारण हैं और निर्वाचन प्रतीक आंवटिक करने की तारीख एवं मतदान की तारीख।
- खर्च की सीमित राशि क्या होनी चाहिए।
- नामांकन शुल्क की जानकारी, इत्यादि।

इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह थी कि सभी महिलाओं ने उम्मीदवार को अपने पैसे खर्च न करने की सलाह दी जितने भी नामांकन किये जायेंगे, सभी खर्च स्थानीय ग्रामीण वहन करेंगे। इस प्रशिक्षण में 100 महिलाओं/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका आयोजन 'प्रदान', एडीआर तथा मंथन युवा संस्थान ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रशिक्षण का समापन दामोदर महिला मंडलक के जागरूकता गीत से किया गया। जिसके बोल हैं–

'हमारी बातों को सुनो, सुनो मेरी सखियां।
पंचायत को मजबूत बनाव, बनाव मेरी सखियां।।'

अंत में शांति सावैयां ने सभी लोगों से कहा कि मंथन युवा संस्थान या एडीआर किसी भी राजनैतिक दल या प्रतिनिधि को किसी तरह से सहयोग नहीं करेगा और न ही किसी उम्मीदवार को चिह्नित करेगा।

पीआरआई का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक : 15 अक्तूबर, 2015

समारोह स्थल : जन विकास केन्द्र, हजारीबाग

दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 को पीआरआई का प्रशिक्षण का आयोजन 'प्रदान' संस्था की ओर से हजारीबाग जन विकास केन्द्र में किया गया। प्रशिक्षण देने के लिये मुख्य रूप से मंथन युवा संस्थान रांची से शांति सावैयां उपस्थित थीं। इस प्रशिक्षण में जागरूकता अभियान चलाने के लिये वैसी महिलाओं का बुलाया गया था जो पूरी तरह से ग्रामीण जीवन जी रही हैं, सुदूर गांव में निवास करती हैं जिनको ग्रामसबा और पंचायत चुनाव की प्राथमिक जानकारी भी न के बराबर थी। 'प्रदान' ने मुख्य रूप से अनुरोध किया था कि सिर्फ पंचायत चुनाव सम्बंधी जानकारी उपलब्ध करायें। चूंकि सभी नये सदस्य थे इसलिए ग्राम के अधिकार एवं आगामी चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बताया। जैसे– अनुसूचित क्षेत्र में महिला को आरक्षण एवं आरक्षण से सम्बंधित जानकारी, पेसा के तहत परम्परागत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गयी। ग्राम प्रधान,मुण्डा/मानकी, संथाल क्षेत्र में मांझी हड़ाम, उनकी पहचान एवं संस्कृति की पहचान, सामुदायिक सम्पदा और विवादों को निपटाने का अधिकार भी गांव के मुण्डा–मानकी, पड़हा, मांझी हड़ाम के पास ही है।

- आरक्षण– सुरक्षित क्षेत्र में महिला के लिये 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है और एक आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद भी आदिवासी की श्रेणी में आती है, इसलिए वह महिला सुरक्षित सीट से उम्मीदवार हो सकती है (सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पारित)। एक आदिवासी महिला सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकती है।
- सामान्य जाति की महिलाओं के लिये भी 50 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन वह सुरक्षित सीट से उम्मीदवार नहीं हो सकती। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की सीट से नहीं)।
- सुरक्षित सीट से उम्मीदवार के लिये जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है और अगर गैर आदिवासी पुरुष से विवाह हुआ हो तो मायके से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- वैसी महिला भी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार नहीं हो सकती जो झारखंड राज्यसे बाहर दूसरे राज्य की हो। सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
- पुरुषों के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन महिला के लिये आरक्षित सीट से उम्मीदवार नहीं सकते हैं।
- वैसी महिला/पुरुष भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके ऊपर बिजली,पानी के आन्दोलन के कारम थाना में केस दर्ज है।
- बैंक या सरकारी संस्था से ऋण या कर्ज लेकर न चुकाया हो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते कि बैंक द्वारा भ्रष्टाचारी, दिवालिया घोषित न किया गया हो।
- उम्मीदवारी के लिये मैट्रिक पास या शिक्षित होना जरूरी नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक एवं बुनियादी विकास की जरूरी बातों की समझ हो। लेकिन कोई ऐसा उम्मीदवार चुनो जो अपने कार्य को करने में सक्षम हो।

नामांकन की प्रक्रिया एवं जरूरी कागजात/दस्तावेजों की जानकारी–

- पहचान पत्र/वोटर कार्ड/वोटर मतदाता सूची जिसमें उनका नाम दर्ज है।
- नामांकन पत्र में अपना नाम वैसे ही लिखें जैसे मतदाता सूची में दर्ज हो।
- आयु सम्बंधी जरूरी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र।
- नामांकन शुल्क एवं व्यय किये जाने वाली राशि की जानकारी दी गयी।
- मतदान की तारीख एवं नामांकन वापस लेने की जानकारी दी गयी।
- अंत में मुखिया–उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है तथा प्रमुख तथा जिला परिषद सदस्य तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार लाया जा सकता है। इसको विस्तार से बताया गया।
- पंचायत समिति तथा पंचायत राज के तहत पांच वर्षों के कार्यकाल के तहत कार्य एवं अधिकार की जानकारी दी गयी।

पंचायत प्रतिनिधियों के पांच वर्षों के कार्यकाल में क्या–क्या अधिकार एवं कार्य शामिल हैं–

- स्वास्थ्य विभाग सम्बंधी कार्य
- समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास योजनाएं, खासकर आंगनबाड़ी
- कृषि से सम्बंधित योजनाएं एवं कार्य (गन्ना विकास विभाग)
- ग्रामीण विकास विभाग
- कल्याण विभाग एवं आदिवासी कल्याण विभाग
- समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा महिला कल्याण
- मानव संसाधन विभाग (शिक्षा विभाग)
- खेलकूद एवं सांस्कृतिक विभाग
- जन वितरण प्रणाली
- सहकारिता विभाग
- अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पंचायत राज (स्थानीय स्वशासन/तहत पांच वर्षों में कार्यकाल के तहत कार्य एवं अधिकार)

1. स्थानीय स्वशासन यानी गांव के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के लिये संचालित की जाने वाली शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति एक समूह के रूप में सामूहिक हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श करें, निर्णय लें और लागू करें।

2. पंचायतों को संविधान और राज्य सरकार द्वारा बनाये कानून के अनुसार काम करना होता है जिस तरह से राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गये नियम–कानूनों के हिसाब से काम करना होता है।

3. पंचायती स्वशासन व्यवस्था में पंचायतों को लोगोंयानी गांवसभा के सदस्यों के साथ मिलकर गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर नियम और उपनियम बनाने होते हैं, लागू करने होते हैं, जरूरी हो ता उसमें बदलाव भी करने होते हैं।

4. गांव के विकास की योजनाएं गांव में गांव के लोगों के साथ मिलकर बने तथा लोगों की जरूरत के अनुसार प्रामाथमिकते के आधार पर बने।

5. इन विकास योजनाओं को लागू करने के लिये गांव के लोगों की सक्रिय भागीदारी हो।

6. गांव की विकास योजनाओं का आकलन गांव के लोगों द्वारा किया जाये और योजनाओं को लागू करने में हो रही परेशानियों का हल भी गांव के लोग खुद करें।

7. गांव के विकास में सभी वर्गों का खासकर महिलाओं, कमजोर और पिछड़े वर्गों की भागीदारी हो और विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों का समावेश हो।

राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के लिये राज्य स्तरीय तैयारी बैठक

दिनांक : 17 अक्तूबर, 2015

समारोह स्थल : मंथन युवा संस्थान, रांची

झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव 2015 के मद्देनजर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के लिये मंथन युवा संस्थान की ओर से एक राज्य स्तरीय तैयारी बैठक का आयोजन श्री बलराम जी की अध्यक्षता में दिनांक 17 अक्तूबर 2015 को मंथन युवा संस्थान के सभागार, रांची में किया गया। बैठक की शुरुआत में श्री सुधीर पाल जी ने कहा कि आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिये इसका स्वरूप क्या हो, संसाधन कहां से आयेगा, हमारे पास कितना संसधान है, कहीं–कही किस स्तर पर गैर राजनीतिक अभियान राज्य स्तर पर कैसे चला सकते हैं, हमें तय करना होगा कि कौन–कौन संस्था–संगठन क्या कर सकते हैं। भौगोलिक स्तर पर कहां–कहां करें, यह तय कर लें, कितना प्रशिक्षण प्रखंड और जिला स्तर करेंगे और इसमें चुनाव आयोग का कितना सहयोग मिला। इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। साथ ही सुधीर पाल जी ने बताया कि रहने/ठहरने की व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी है।

इसके बाद सभी उपस्थित सदस्यों के परिचय से चर्चा को आगे बढ़ाया गया। आगे श्री बलराम जी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि झारखंड का पंचायत चुनाव औपचारिक रूप से बहुत जरूरी है और दूसरे राज्यों से अलग है। इस पंचायत चुनाव से एक परम्परा विकसित कर सकते हैं। लोग उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुनें, यह व्यावहारिक भी हो सकता है। सम्भावित जिलों में तथा राज्य स्तर पर कार्यशाला हो, गैर सरकारी संस्था/सिविल सोसाइटी के लोग इसमें क्या कर सकते हैं और राज्य चुनाव आयोग का क्या सहयोग होगा, इस पर चर्चा करनी भी आवश्यक है।

लीड्स के अजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग एवं सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम तय करें जिससे सम्पर्क सही बन पाये और काम धरातल पर हो। उम्मीदवार खुद से चुने हुए हो, ऐसा अभियान चलाया जाये।

जनार्दन चौबे (पलामू) ने कहा कि पंचायत चनाव में सीधे तौर पर उम्मीदवार का चुनाव होता है। एक अच्छा व्यक्ति का चुनाव पंचायत के विकास को दर्शाएगा, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पंचायत और प्रखंड स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पम्फलेट, पर्चा, गाड़ी में माइक के द्वारा चुनाव सम्बंधी जानकारी दी जाये।

मंथन से शांति सावैयां ने कहा कि 2010 के पिछले पंचायत चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि के काम से लोग खुश नहीं हैं, बहुत से मुखियाओं पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है, ऐसे प्रतिनिधि दोबारा चुनकर न आयें ऐसा भी लोगों को जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोडरमा और हजारीबाग जिले में दो–तीन जगहों पर उम्मीदवार तथा मतदाता जागरूकता प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में बहुत से सीधे सवाल लोगों की तरफ से आये हैं और आ रहे हैं। जैसे– उम्मीदवार आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उन्होंने गैर आदिवासी पुरुष से विवाह किया है तो जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में दिक्क तें आ रही हैं। ऐसे में हमें एक प्रश्नोत्तर का प्रशिक्षण के दौरान देने चाहिए। साथ ही इस जागरूकता अभियान के दौरान हमारी आचार संहिता क्या होनी चाहिए, यह भी कहा। आगे श्रीमती रेणु प्रकाश (मंथन युवा संस्थान) ने कहा कि चुनाव में जाति, धन–बल लोगों को बहुत प्रभावित करता है, हमें ऐसी जगहों पर अपनी ताकत लगानी चाहिए। जहां इन सब चीजों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है।

आशा संस्था, रांची से श्री अजय जसवाल ने बताया कि उनकी संस्था चार जिलों– रांची, खूंटी, बोकारो और सरायकेला में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई जगह विशेष की घोषणा करें, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों से सीधे–सीधे जुड़ सकते हैं।

आद्री से भयभंजन महतो ने कहा कि उम्मीदवार को सीधे चुनने का प्रयास हो ऐसा लोगों में जागरूकता है।

टी.आर.सी.एस.सी., डिमना, जमशेदपुर से आये श्री सुरेश प्रसाद ने कहा कि ईचागढ़ प्रखंड में उनकी संस्था ने अच्छा काम किया है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में हमलोग उम्मीदवार को पूरी तरह सहयोग करें जिससे उनका नामांकन रद्द न हो। नीमडीह में अभियान शुरू करने की भी बात उन्होंने कही।

अशर्फीनन्द प्रसाद, ग्राम स्वराज अभियान, रांची ने कहा कि 2010 के पंचायत चुनाव में जो अभियान चलाया गया था, वह काफी सफल रहा। उस प्रशिक्षण के लिये जो भी जरूरी दस्तावेज बनाये गये थे, बहुत ही सरल भाषा में और जरूरी सभी बातों को उसमें शामिल किया गया था। इसी तरह का कुछ अभियान मेटेरियल तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पेसा क्षेत्र में, जैसे कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। पंचायत में आने से पारम्परिक क्षेत्र के प्रतिनिधि मुंडा–मानकी को उनकी पहचान खत्म होने, अधिकार दबा दिया जैसा प्रतीत होता है, इसलिये उनकी पहचान बरकरार रहे ऐसा कुछ कार्यक्रम हो। पंचायत की 29 शक्तियों का उल्लेख भी अभियान किट में शामिल किया जाना चाहिए।

यूनाइटेड मिली फोरम, बोकारो से आये श्री अफजल अनीम ने कहा कि पंचायत चुनाव की जरूरी बातों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी नहीं होती है। जागरूकता अभियान चलाना बहुत आवश्यक है। चुनाव में समुदाय विशेष को भी भड़काया जाता है, जैसे आदिवासी क्षेत्र, गैर आदिवासी क्षेत्र या सुरक्षित सीट आदि इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयालांचल में 32 का खतियान जिसके पास नहीं है उनका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

एस.जी.वी.पी. रांची से श्री राजन ने कहा कि पंचायत चुनाव का राजनीतीकरण हो रहा है खूंटी और रनिया में। राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को चुनाव में उतारा जा रहा है। सभी कार्यकर्ता बिचौलियों का काम कर रहे हैं। पेसा को लेकर हमलोग सरकार पर कैसे दबाव बना सकते हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए।

निखिलेश जी, विकास भारती ने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव का परिणाम लगभग 49 प्रतिशत रहा, हमलोग यह संकल्प लें कि कैसे इस जागरूकता अभियान के द्वारा सक्षम और अच्छे उम्मीदवार का चुनाव हो सके। पिछली बार सरकार ने प्रशिक्षण का पूरा पैसा भी खर्च नहीं किया। इसकी जानकारी पंचायतों को नहीं थी। जिनका जानकारी थी, एक पंचायत के लिये एक करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है, पर काम कुछ नहीं हुआ। मत प्रतिशत कैसे बढ़े, जातिवाद, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो इस पर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुखिया को सारे अधिकार दिये गये हैं, इसलिये इस बार सभी उम्मीदवार मुखिया के लिये चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितने मुखिया अपने क्षेत्र में जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाये। ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो अपने क्षेत्र में रहें, इसके लिये लोगों को सहयोग करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार 10 विभागों को पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में दिया जा रहा है। लोगों को इस बात की जानकारी दी जाये कि जन वितरण प्रणाली वितरक, आंगनबाड़ी सेविका या मुखिया से वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मांगें या सवाल करें। साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक या राजदूत बनाया जाये जो एक पहचान बन सके, जैसे हमारी संस्था में मानव तस्करी से बचायी गयी बालिका सरस्वती को राजदूत बनाया गया है। अंत में उन्होंने एक सूचना भी दी और कहा कि आगामी 4 नवम्बर, 2015 को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें दो हजार वॉलिंटियर नियुक्त करेंगे जो पिछले पंचायत चुनाव का आकलन करेंगे। इसमें सभी उपस्थित सदस्यों को शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।

सुरेन्द्र कुमार, प्रेरणा भारती, देवघर ने बताया कि उनकी संस्था तीन जिलों में काम करती है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जानकारी का अभाव था इसलिए चुनाव सीधी तरह सम्पन्न हुआ, लेकिन इस बार के चुनाव में उम्मीदवार अपने क्षेत्र से बाहर रहते हैं और पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव से कैसे दूर रखा जाये इस पर भी रणनीति बनानी चाहिए।

आद्री, रांची से श्री राजीव कर्ण ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि चुनाव में सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या–क्या हों, यह प्रतिनिधियों/उम्मीदवारों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। पेसा पर चर्चा करें या जागरूकता पैदा करें, उनके अधिकारों को बताया जाये। ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भ्रांतियों पर विशेष कर ध्यान देने की जरूरत है। छोटे–छोटे स्कूलों में टोलों में अभियान चलाये जायें, एक हफ्ता में चले। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व हमारी गतिविधियां क्या होने चाहिए और चुनाव के दौरान हमारा अभियान कैसे चले। हमारा समूह उत्प्रेरक की भूमिका में कैसे रहे, इस पर चर्चा आवश्यक है। आगे उन्होंने आद्री के द्वारा क्या–क्या चुनाव संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इसकी जानकारी दी।

अलग–अलग जिलों की 50 ग्राम पंचायतों में साक्षरता कार्यक्रम के प्रारूप को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। एक पंचायत संवाद का कार्यक्रम छह दिनों के अन्तराल में नामांकन की अंतिम तिथि से लेकर नामांकन वापस लेने के बाद, इस संवाद में मतदाता एवं कम से कम 30 (तीस) उम्मीदवार भी शामिल हों आसा हमारा लक्ष्य है। जिसमें पंचायती राज की जानकारी, कौन–कौन चुने जाते हैं। उम्मीदवार यह बताये कि मतदाता उन्हीं को क्यों चुने? अपनी बात करेंगे, मतदाता सवाल करेंगे, उनको जवाब देना होगा, प्रत्येक क्षेत्र में आधे दिन का कार्यक्रम होगा। इससे लोग मंथन करेंगे। सभी कार्यक्रम बोलचाल की भाषा में होंगेष इसमें दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। फ्लैक्स में सीधे, सरल भाषा में संबंधित जानकारी दिखायेंगे जिससे भाग लेने वाले लोग समझ सकें। आगे अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री बलराम जी ने कहा कि महत्वपूर्म है कि लोग पिछला चुनाव और इस चुनाव के अंतर को समझे। 32 वर्षों के बाद चुनाव हुआ 2010 में, लोगों में उत्सव का माहौल था, लेकिन अब पांच वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं। लोग मुद्दे पे सोच–समझकर वोट करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

दूसरा उन्होंने चुनाव के बाद हमारे गैर सरकारी संस्थान (एनजीओ) क्या काम करेंगे, कौन एनजीओ काम करेंग, पिछले चुनाव के बाद किसी भी विभाग का काम सही प्रक्रिया से नहीं चल सका। पंचायतों के काम को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर दिया गया। सरकार की तरफ से नजर अंदाज किया गया। पिछला चुनाव मुखिया केन्द्रित था, ज्यादा ताकतवर हुआ इसका नतीजा यह हुआ कि अब सभी लोग मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सारे अधिकार मुखिया के पास थे, वार्ड सदस्य या पंचायत समिति केपास कोई काम नहीं था, लोगों को ऐसा लगता है। ऐसे में पंचायत कैसे काम करेगा। इस तरह के प्रश्नोत्तर भी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में डालना होगा। अंत में उन्होंने कहा कि चुनाव के पश्चात हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे कुपोषण रहित पंचायत, वृक्षावस्था, महिला अधिकार, पंचायत रोकने हेतु अभियान पर काम करना चाहिए।

आगे बैठक की समीक्षा करते हुए श्री सुधीर पाल ने कहा कि 20 प्रतिशत मतदाता भ्रष्ट हैं, इसलिये राजनैतिक सुधार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नागरिकों के अधिकार, भूमिका, तीसरी सरकार की मजबूती, इसका हस्तक्षेप कहां होगा। साथ ही जन सहयोग से राशि का व्यय किया जाये यह भी कहा। आगे उन्होंने कहा कि हम एनजीओ, सीवीओ, सीएसओ, सीएसजी, राज्य चुनाव आयोग केसाथ भागीदारी से इसमें जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं साथ मिलकर रणनीति बनाये–

- जिसमें मतदाता जागरूकता स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक, एस.एम.एस., अखबारों, समाचार पत्रों के माध्यम से नियमित जानकारी शेयर करना।
- हम रोड में ऑटो या सिटी बस वालों को भी चुनाव के दौरान जागरूकता गीत बचाने के लिये प्रेरित करें। साथ ही पूरे अभियान में मीडिया को शामिल करें।

बैठक के अंत में एक सहायता केन्द्र की स्थापना जिसमें 24 घंटे कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार अपनी जानकी आदान–प्रदान कर सके। मीडिया टीम का गठन किया गया जिसमें प्रवक्ताओं का चयन किया गया। मुख्य रूप से श्री सुधीर पाल, श्री बलराम जी, श्री राजीव कर्ण, अजय जी, सदानन्द चौबे, सुश्री शांति सावैयां, श्रीमती रेणु प्रकाश, श्री अशर्फी जी, निखिलेश जी तथा हलधर महतो जी को शामिल किया गया। जो समय–समय पर अभियान संबंधी जानकारियों को शेयर करेंगे।

अभियान के लिये कमिटी का काम तय किया गया जिसमें रिसोर्स मैटेरियल बुकलेट, प्रश्नोत्तर, पर्चा, ऑडियो, फ्लैक्स आदि बनाकर जल्द सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराना। अभियान के स्लोगन '50 में हिस्सेदारी, 100 में भागीदारी' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अभियान के लिये आदर्श घोषणा पत्र को तैयार करना भी शामिल है।

दूसरा स्लोगन – 'सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें।'

हमारी आचार संहिता में मुख्य रूप से हमारा अभियान किसी भी रूप से किसी प्रतिनिधि या पार्टी का समर्थन नहीं करेगा और न ही पक्ष या विपक्ष में अभियान चलायेगा। भयमुक्त मतदान, जाति आधारित अभियान न हो, मुद्दे आधारित चुनाव से।

हम इस बात का ध्यान रखें कि उम्मीदवार मुद्दे आधारित वोट मांगे, वोटर भी मुद्दे आधारित वोट करें। अपनी तैयारी बैठक 26 अक्तूबर, 2015 को मंथन युवा संस्थान सभागार में रखी गयी है और 28 अक्तूबर, 2015 को राज्य स्तरीय मतदाता एवं उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें 200 (दो सौ) कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षत किया जायेगा जो अपने क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करेगे। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से चुनाव आयोग का सहयोग रहेगा। कार्यशाला के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसकी जानकारी सुधीर जी ने दी।

बैठक में सिनी से आये सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि खूंटी सदर में चुनाव आयोग जागरूकता के लिये कार्यशाला प्रशिक्षण देगा। अंत में भोजनावकाश के बाद श्री सुधीर जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पंचायत चुनाव पर नागर समाज की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला

झारखंड पंचायत रिसोर्स सेन्टर, नेशनल इलेक्शन वॉच, मंथन युवा संस्थान तथा एडीआर द्वारा आयोजित कार्यशाला

दिनांक : 28 अक्तूबर, 2015

समारोह स्थल : होटल ए.वी.एन. ग्रैंड, रांची

झारखंड में इस बार दूसरी बार पंचायत चुनाव हो रहा है। पिछली बार 2010 में पहले पंचायत चुनाव में महिलाएं बड़ी तादाद (57 प्रतिशत) में जीत कर आयी थीं। 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव के ये नतीजे बहुत ही सुखद थे। यह आशा बनी थी कि अब निचले स्तर से सर्वांगीण विकास होगा तथा सभी योजनाएं स्थानीय स्तर से बनेंगी, लेकिन आशाएं पूरी तरह फलीभूत नहीं हुईं। महिलाओं की जात का पूरा प्रतिफलन नहीं हो पाया। पहला कारण, सरकार ने उन्हें ने तो पूरी जानकारी दी और न ही वित्तीय अधिकार दिये। दूसरा, महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती रहीं। प्रायः सरकारी बैठकों में भी उनके पति ही हावी रहते थे। वस्तुतः पंचायत चुनाव का जो उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाया। अतः पंचायत चुनावों के मद्देनजर जागरूकता अभियान एक अनिवार्यता बन गयी। इस मुद्दे पर मंथन युवा संस्थान पहले चुनाव में भी जागरूकता अभियान चलाता रहा है ताकि अच्छे प्रत्याशी चुनकर आयें। अतः संस्था ने इस बार के पंचायत चुनाव के लिये भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय अपने सहमना संस्थाओं के साथ मिलकर लिया है। इस आशय की एक बैठक दिनांक 17 अक्तूबर, 2015 को मंथन युवा संस्थान के कार्यालय में रखी गयी थी। उसी दिन आज के कार्यकरम की रूपरेखा बनी थी। 28 अक्तूबर, 2015 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की जायेगी।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंथन युवा संस्थान की रेणु प्रकाश ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मान सहित स्टेज पर बुलाया। अतिथियों के आसन ग्रहण करने के बाद उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि पिछला पंचायत चुनाव (1970) हम जैसे सीएसओ के संघर्ष का परिणाम था जो कि 32 वर्षों की लम्बी अवधि के बाद हुआ। पंचायत चुनाों में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण था, लेकिन यह सुखद था कि 57 प्रतिशत महिलाएं जतकर आयीं। पर बाद में यह देखा गया कि कुछ तो सरकार का असहयोगात्मक रवैया, कुछ महिला प्रतिनिधियों में पूर्ण जानकारी का अभाव, इस वजह से वे अपने पुरुष साथियों द्वारा मोहरे की तरह इस्तेमाल हुईं। लेकिन इस बार ऐसी नौबत नहीं आये अतः हमें अपने स्तर से अच्थी तरह से काम करना होगा।

कार्यशाला के कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस सत्र में मुख्य तौर पर सहायक चुनाव आयुक्त (झारखंड) श्री बी.बी. आनन्द मूर्ति, अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल श्री अनिल वर्मा (राष्ट्रीय समन्वयक एडीआर), श्री मणिमय जी (सी.डब्ल्य.एस.), श्री सुधार पाल (मंथन युवा संस्थान) शामिल थे।

इस सत्र के आरम्भ में प्रचारात्मक सामग्री जैसे– सीडी तथा पुस्तकों का लोकार्पण अतिथियों ने संयुक्त रुप से किया। तत्पश्चात विषय प्रवेश करते हुए मंथन युवा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर पाल ने कहा कि इस बार हमारे पंचायत चुनाव होने जा रहा है। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि इस चुनाव में सही व्यक्ति को वोट देने के लिये मतदाताओं को जागरूक किया जाये। क्योंकि प्रायः चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये धन–बल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें अपनी भूमिका के प्रति और भी सजग रहने की जरूरत है। वस्तुतः पंचायत चुनाव का एकमात्र उद्देश्य है– पंचायतों को सशक्त करना ताकि विकास की किरण गांवों को भी रौशन करे। इसके लिये हम पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान चलायेंगे, इस क्रम में प्रत्याशियों तथा मतदाताओं के साथ बातचीत करके उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा ताकि चुनाव का सही

मकसद पूरा हो सके। यह अच्छी बात है कि यह चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी के चिह्न पर नहीं लड़ा जा रहा, यह एक अच्छा मौका है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए।

कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में श्री बी.बी. आनन्द मूर्ति जी इस तरह के आयोजन के लिये श्री सुधीर पाल जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहे हैं। मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं। पंचायत चुनाव के लिये अभी जो नामांकन हो रहे हैं उनमें मुखिया एवं जिला परिषद के लिये ज्यादा नामांकन हो रहे हैं। लेकिन वार्ड सदस्यों के लिये ज्यादा नामांकन नहीं हो रहा है।

सत्ता सही रूप में विकेन्द्रित हो इसके लिये जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि सही तरह से काम करें, ऐसा तभी होगा जब सही लोग चुने जायें। अतः इसके लिये जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है तथा इसी संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा।

इसके पश्चात श्री मणिमय जी को अपना वक्तव्य देने के लिये आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि पेवैक की जो रूपरेखा तैयार की गयी है उसके आधार पर पहला कैम्पेन 2009–10 में हुआ था। इसके तहत चुनाव पूर्व हम किस प्रकार काम करें यह तय होता है। लेकिन फॉलोअप के तौर पर पोस्ट इलेक्शन कैम्पेन भी होना चाहिए। पिछले पंचयत चुनाव (2010) में हमने पोस्ट इलेक्शन कैम्पेन के तहत दो जिलों की आठ पंचायतों में काम किया। इसका असर इर्द–गिर्द के इलाकों में भी अच्छा पड़ा। हम देखते हैं कि जिन सुदूर गांवों में सरकार का पहुंचना कठिन होता है वहां सीएसओएस की पहुंच हो जाती है तता वे वहां पर सहज ग्राह्य होते हैं। पेसा–1996–पीआरआई 2007 में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आकलन संस्थाएं बखूबी कर सकती हैं। पंचायत चुनाव के तहत विकास की बातें ही होनी चाहिए। लेकिन सड़क या आंगनबाड़ी केन्द्र का बनना ही काफी नहीं है विकास का अर्थ बहुमुखी एवं वास्तविक विकास, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सबों के दृष्टिकोण से विकास। यदि गांव की योजना सही तरह से गांवों में बने तो बात बन सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त सर्वांगीण विकास के लिये सबको साथ मिलकर काम करना होगा। हमलोगों ने 27 फरवरी, 2013 को एक कार्यक्रम जिसमें चार जिलों से 100 से ज्यादा मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद शामिल थे, चूंकि वे बहुत कम मानदेय पाते हैं, अतः उन्होंने बात रखी थी कि सांसदों तथा विधायकों को तो बहुत बड़ी राशि मिलती है। इतना अन्तर क्यूं, हम भी तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं? यह आर्थिक अन्तर भी विकास की प्रक्रिया में कहीं न कहीं अड़चन पैदा करता है। इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है।

इनके पश्चात श्री अनिल वर्मा ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर की बातें बताऊंगा। हिमाचल, सिक्किम की पंचायतों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राज्यों के तहत पंचायतों में बहुत थोड़ लोग सचमुच अच्छा काम कर कर पाते हैं। राजनीतिक दबाव की वजह से भी पंचायतों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वे जाति एवं समुदाय में क्षेत्रों में विभाजन पैदा करना चाहते हैं तथा इससे वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम देखते हैं कि स्थानीय निकायों को राशि भी कम मुहैया की जाती है। पश्चिम बंगाल में देखा गया कि वहां विकास का काम बी.डी.ओ. तथा एस.डी.ओ. की तरफ से होता है। जबकि विकास का काम पंचायतों की तरफ से होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जिसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं–

- इनफॉर्म्ड सिटिजन
- इनक्लुसिव पार्टिसिपेशन

जब तक सभी नागरिकों का जानकारियों से लैस एवं विकास कार्यक्रमों से पूर्ण भागीदारी नहीं होगी तब तक विकास की बात बेमानी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान

में एसकेएसएस ने बहुत बढ़िया काम किया है। अरुण रॉय ने इन बिन्दुओं पर लगातार बहुत अच्छा काम किया। गुजरात की एक संस्था ने देखा कि साधारण लोगों में जानकारियों का अभाव है। उस संस्था ने 'आरटीआई ऑन व्हील्स' की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के भिन्न–भिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों में जानकारियां बांटने का काम किया। उन्होंने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि मेरठ के इलाके में 20–30 गाड़ियों में पंचायतों के चुनाव होते हैं। शराब एवं पैसों को पानी की तरह बताया जाता है। महिला प्रत्याशी के पोस्टरों में उनके पति का नाम नहीं छपा रहता। क्या प्रशासन यह सब नहीं जानता? यह स्पष्ट है कि जब तक मतदाता जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। स्टेट पावर के साथ–साथ यदि सीएसओएस अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो हम सिर्फ विकास की बात ही करते रह जायेंगे। सही विकास के लिये अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी।

श्री बलराम जी –

उन्होंने कहा कि मंथन युवा संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिये वह बधाई का पात्र है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र की जड़ पंचायती व्यवस्था में है, अतः इसे पारदर्शी बनाना होगा ताकि हम सही तरीके से काम कर सकें। लेकिन पंचायतों के काम का आकलन यदि हम पांच वर्षों पर करते हैं तो यह जल्दबाजी होगी। इसके लिये दो और समय लेने की जरूरत है। सरकार प्रशासनिक अधिकारी एवं पीआरआई मेम्बर्स के साथ कैसे काम करेगी इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्यूंकि जो वास्तविक काम होना है वह स्थानीय स्तर पर ही पंचायतों में हो सकता है। गांव के लोगों के द्वारा ही गांव की योजना बननी चाहिए। पंचायतों को जवाबदेह होने के लिये पारदर्शी बनना होगा। यह देखा गया है कि यदि प्रमुख के पद पर महिला है तो पुरुषों को कोई रुचि नहीं होती। यहां पंचायत केन्द्रित के बजाय प्रमुख केन्द्रित व्यवस्था हो जाती है जो कि गलत है। मुखिया को पूरे पंचायत के साथ मिलकर काम करना है।

इस प्रकार श्री बलराम जी के वक्तव्य के साथ ही प्रथम सत्र का समापन हुआ। इस सत्र का संचालन मंथन युवा संस्थान से रेणु प्रकाश ने किया।

द्वितीय सत्र में श्री राजीव कर्ण (एडीआर) श्री एक.के. सिंह (लीड्सः, श्री लहधर महतो (पीएचआरएन), श्री रामदेव विश्वबंधु, श्री मनोज श्रीवास्तव (कशिश टीवी) मुख्य तौर पर शामिल थे।

इस सत्र के प्रथम वक्ता हलधर महतो जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि आसन्न पंचायत चुनाव के मद्देनजर हमें राज्य के अन्दर हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों की शंका का निवारण किया जा सके। यह चुनाव एक परीक्षा की तरह है। हमें इसके लिये बहुत ही तैयारी के साथ जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि अपेक्षित परिणाम मिल सके।

श्री ए.के. सिंह –

उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इस बार वैसे लोग चुनकर आयें जो वास्तविक रूप से पंचायतों में विकास का काम कर सकें। हमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत काम करना होगा।

1. चुनाव के उद्देश्य से एक ऑफिस काम करना होगा।
2. ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय नोडल सम्पर्क व्यक्ति ही रहना चाहिए।
3. पिछले पांच वर्षों में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे– बालविवाह, डायन हत्या, अंधविश्वास, पर बहुत काम नहीं हो पाया है। अतः इसबार उन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है।

चुनावों की जो सबसे बड़ी एवं प्रमुख बात है वह यह कि जिनके पास पैसा नहीं है वे सक्षम व्यक्ति होते हुए भी चुनाव में खड़े नहीं हो पाते।

4. पंचायतों के एजेंडे में बच्चे प्रमुख रूप से होने चाहिए। अध्यक्ष भोजन, विद्यालय प्रबंधन कमेटी आदि पर काम करने की जरूरत है। यदि अच्छे लोग चुनकर आयेंगे तो काम भी होगा।

श्री रामदेव विश्वबंधु –

अपनी बात के आरम्भ में उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक अंजाद में एक कवि की पंक्तियां कही–

चिड़िया चुगती दानों को
हम चुनते नादानों को।

उन्होंने बताया कि हमने पांच सालों में क्या पाया ओर क्या खोया। यह विश्लेषण करने का समय है, अभी भी निचले स्तर पर सूचनाओं का अभाव है। मुखिया को भी पंचायत संबंधी पूरी जानकारी नहीं है। अतः पंचायतों के विकास के लिये सूचनाओं के प्रवाह को समृद्ध करना होगा।

श्री मनोज श्रीवास्तव – (कशिश टीवी)

उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यदि हम भारत के मौलिक विकास की बात कल्पना करते हैं तो इसमें पीआरआई की बड़ी भूमिका है तता हमें विश्वास है कि हम अपने जीवनकाल में वह दिन ज्यादा देखेंगे। आज मीडिया की पहुंच गांवों तक है तथा

रेडियो की पहुंच गांव की शत–प्रतिशत जनता तक है। हमारी कोशिश है कि हर जिले में सीएसओ के लोगों को लेकर पीआरआई के ऊपर एक सकारात्मक माहौल बनाया जाये। मुझे विश्वास है कि कशिश टीवी इस मामले में आपके सामने एक उदाहरण बनेगा। इस सत्र के अंत में श्री राजीव कर्ण ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जनतांत्रिक व्यवसथा को मजबूत करने के लिये हमें जागरूकता अभियान को सुचारू रूप से चलाना होगा एवं हैंडहोल्डिंग की मिसाल मेश करनी होगी। झारखंड में यह दूसरा पंचायत चुनाव है तथा हमें उस समय की गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान में चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष को अंजाम देना है ताकि सच्चे रूप में विकेन्द्रित शासन का सपना साकार हो सके।

इस सत्र की अगली कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी श्री प्रेमतोष चौबे जी ने अपना वक्तव्य काफी विस्तार से रखा।

चौबे जी (राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि) –

कार्यशाला के अंतिम सत्र में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि श्री प्रेमतोष चौबे जी ने मुख्य रूप से पंचायतों के उत्पत्ति/बनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1992 को संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों को कानूनी अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान 243 धारा (9) में अनुच्छेद 243 पी से जेडजी तक प्रोविजन 9ए में नगरपालिका से संबंधित कार्यों को बताया। जो 243 राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। भारतीय संविधान 324 भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची 26,27 में केन्द्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति को विस्तार से जानकारी दी। आगे उन्होंने प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देते हुए यह भी बताया कि 1961 में चुनाव कराने संबंधी रूल बना। जिसमें 76 के तहत उम्मीदवार को आयोग्य घोषित किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया में प्रपत्र 6,7,8 की जानकारी दी।

आचार संहिता कब से कब तक लागू होता है इसकी भ जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल आशय की सूचना हेता है किस दिन से राज्य विचन आयोग पत्र जारी करता है तब से आचार संहिता लागू होती है। चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू होता है। निर्वाचन आयोग इसबीच अपने दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो समय–समय पर कर सकते हैं, जैसे– किसी भी उम्मीदवार पर कार्यवाही कर सकते हैं, चुनाव के बीच भी या बाद में भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। कृष्ण सिंह तोमर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव संबंधी सभी कार्यवाही चुनावी प्रक्रिया में हो सकता है जो झारखंड में बना कानून ही पूरे झारखंड में उपयोग, लागू करने की बात की गयी है।इसके बाद प्रस्तावक, अव्यधता, विधायिका पर विस्तार से बताया। आवश्यक परिवर्तन के साथ 1968 के अनुसार लाभ के पद पर आसीन लोग उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। 1997 में नामांकन के लिये कम से कम सात दिन का समय दिया गया।

उदाहरण देते हुए बताया कि 2003 नियमावली के अनुसार ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिये कम से कम सात दिन पहले सूचना देने का प्रावधान है। इसके बाद उपस्थित प्रतिभागियों के प्रश्नों का बहुत ही सरल तरीके से जवाब भी दिया, जो निम्नलिखित हैं–

प्रश्न 1. : नामांकन वर्णक्रम (अल्फाबेटिकली) होता है या नहीं?

उत्तर : ऐसा कोई नियम नहीं है, पहले आओ, पहले पाओ के तहत होता है।

प्रश्न 2. : एमएलए/एमपी परिवार का पेंशन लाभुक की श्रेणी में आता है या नहीं? वह अभ्यर्थी हो सकता है या नहीं?

उत्तर : एमएलए/एमपी पेशनधारी लाभुक की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिये वह उम्मीदवार हो सकते हैं।

प्रश्न 3 : महिला उम्मीदवार को आरक्षित सीट के लिये मायका का जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, क्या करें?

उत्तर : मायका से ही बनाना होगा, अगर वह गैर आदिवासी से विवाह कर लेती है तो।

प्रश्न 4. : बिहार के समय में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं?

उत्तर : एक बार ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मगर बिहार के समय में जारी किया गया हो तो भी वही मान्य होगा।

प्रश्न 5. : पिछला पंचायत चुनाव 2010 में ईचागढ़ प्रखंड में 14 पंचायत में, 14 मुखिया का पद था और 14 पंचायत समिति थी, लेकिन 2015 में 14 मुखिया का पद यथावत है, लेकिन पंचायत समिति की संख्या बढ़कर 17 हो गयी है, जबकि 5000 की जनसंख्या में दोनों चुनाव होगा, यह समस्या पूरे झारखंड में है, कारण बताये?

उत्तर : पंचायत में जनसंख्या के आधार पर सीट आरक्षित या अनारक्षित करने की बात कही गयी है। संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में इसकी चर्चा की गयी है।

प्रश्न 6. : पाकुड़ जिले के अंतर्गत नरोत्तमपुर ग्राम पंचायत में 16 वार्ड हैं, इनमें से एक वार्ड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है, लेकिन वहां एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है, ऐसे में उम्मीदवार कौन हो सकता है?

उत्तर : कार्मिक विभाग तय करेगा।

इसके बाद श्री सुधीर पाल जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गयी।

क्र.सं.	दिनांक	जिला	प्रखंड	पंचायत	कार्यक्रम	सहयोगी संस्थान	प्रतिभागी संख्या	निष्कर्ष
1	16.11.2015	कोडरमा	डोमचांच	बच्छेडीह	सामुदायिक बैठक	जनसेवा परिषद	27	
2	17.11.2015	कोडरमा		मसमोहना	सामुदायिक बैठक	जनसेवा परिषद	30	
3	18.11.2015	कोडरमा		धरगांव	कार्यशाला	जनसेवा परिषद	26	
4	19.11.2015	कोडरमा		शिवसागर मेला, डोमचांच बाजार	नुक्कड़सभा	जनसेवा परिषद	31	
5	20.11.2015	कोडरमा		बगरीडीह	नुक्कड़ सभा	जनसेवा परिषद	22	
6	21.11.2015	कोडरमा		बगड़ो	नुक्कड़ सभा	जनसेवा परिषद	36	
7	26.11.2015	कोडरमा		पश्चिमी जयनगर	नुक्कड़ नाटक	जनसेवा परिषद	21	
8	27.11.2015	कोडरमा		पश्चिमी रुपईडीह	ग्रामसभा बैठक	जनसेवा परिषद	26	
9	16.11.2015	कोडरमा	मरकच्चो दक्षिणी	मरकच्चो अंश	नुक्कड़ नाटक (डमी वोटिंग)	जनसेवा परिषद	50	
10	18.11.2015	कोडरमा	मरकच्चो	मरकच्चो उत्तरी	नुक्कड़ नाटक (डमी वोटिंग)	जनसेवा परिषद	35	
11	19.11.2015	कोडरमा		मरकच्चो दक्षिणी	नुक्कड़ नाटक (डमी वोटिंग)	जनसेवा परिषद	40	
12	20.11.2015	कोडरमा		मरकच्चो मध्य	नुक्कड़ नाटक (डमी वोटिंग)	जनसेवा परिषद	40	
13	21.11.2015	कोडरमा		मरकच्चो दक्षिणी	नुक्कड़ नाटक (डमी वोटिंग)	जनसेवा परिषद	43	
14	23.11.2015	कोडरमा	कोडरमा प्रखंड	लोकाई	ग्रामसभा बैठक	जनसेवा परिषद	25	
15.	24..11.2015	कोडरमा		तिनतारा पंचायत	ग्रामसभा बैठक	जनसेवा परिषद	20	
16.	25.11.2015	कोडरमा		चाराडीह	परिचर्चा	जनसेवा परिषद	16	
17.	26.11.2015	कोडरमा		झुमरी पंचायत	परिचर्चा	जनसेवा परिषद	15	
18	27.11.2015	कोडरमा		मलियाई	ग्रामसभा बैठक	जनसेवा परिषद	18	
19	07.11.2015	गिरिडीह	जमुआ		कार्यशाला	आईडिया		
20	10.11.2015	गिरिडीह		पिंडाटॉड़, सिकराडीह, खावां	कार्यशाला	आईडिया		
21	11.11.2015	गिरिडीह		चैताडीह, भंडारीडीह, महेशलुंडी	ग्रामसभा बैठक	आईडिया		
22	12.11.2015	गिरिडीह		सिरसिया, सिहोडीह	ग्रामसभा	आईडिया		
23	13.11.2015	गिरिडीह		तेलोडीह, परसाटांड़, बक्सीडीह	नुक्कड़ सभा	आईडिया		
24	14.11.2015	गिरिडीह	जमुआ	बेहराडीह, सित्तरडीह, बलगो	नुक्कड़ सभा	आईडिया		
25	16.11.2015	गिरिडीह		धर्मपुर, मेढ़ोचपरक्खो	नुक्कड़ नाटक	आईडिया		
26	17.11.2015	गिरिडीह		बगडीहा, जगरनाथडीह, पोबी	नुक्कड़ सभा	आईडिया		
27	18.11.2015	गिरिडीह		रेम्बा, धुरैता, फतहा, पालमो	नुक्कड़ नाटक	आईडिया		
28	22.11.2015	गिरिडीह	गिरिडीह प्रखंड	सिरकाडीह	कार्यशाला	आद्री		
29	24.11.2015	गिरिडीह	देउरी	नेकपुरा, अस्को, जमडीहा, घोसे	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	आद्री		
30	28.11.2015	गिरिडीह		जमडीहा, चतरो	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	आद्री		

क्र.सं.	दिनांक	जिला	प्रखंड	पंचायत	कार्यक्रम	सहयोगी संस्थान	प्रतिभागी संख्या	निष्कर्ष
31	28.11.2015	गिरिडीह	धनवार	गादी पंचायत	कार्यशाला	आद्री		
32	12.12.2015	गिरिडीह	बगोदर	पोखरिया, सरिया, खुर्द	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	आद्री		
33	19..11.2015	गढ़वा	नगरउंटारी	भोजपुर, बिलासपुर, नरही	ग्रामसभा बैठक	बी.आर.सी., गढ़वा	30	
34	20..11.2015	गढ़वा	नगरउंटारी	हलिवंता, कुशदंड, बेलासपुर	ग्रामसभा बैठक	बी.आर.सी., गढ़वा	50	
35	22.11.2015	गढ़वा	भवनाथपुर	झगराखांड, सरैया, मकरी	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	60	
36	23.11.2015	गढ़वा		अर्सली, कल्याण	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	40	
37	24.11.2015	गढ़वा	खरौंधी	सिसरी, चांदनी, करीवाडीह	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	40	
38	25.11.2015	गढ़वा		खरौंधी पंचायत, वैत्री	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	20	
39	26..11.2015	गढ़वा	केतार	केतार, हरिहरपुर	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	50	
40	27..11.2015	गढ़वा	कांडी	सडकी, कांडी	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	58	
41	27.11.2015	गढ़वा	रमना	टंडवा	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	50	
42	29.11.2015	गढ़वा	रमना	मड़वानिया, भागोडीह, बहियारकला	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	35	
43	30.11.2015	गढ़वा	बिशुनपुरा	बिशुनपुरा, पातागड़ा, पिपरीकला	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	33	
44	01.12.2015	गढ़वा	रमना	बगौंदा	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	43	
45	08.12.2015	गढ़वा	ं मेराल	बंका, मेराल	नुक्कड़ नाटक	बी.आर.सी., गढ़वा	35	
46	10.12.2015	गढ़वा	गढ़वा	कल्याणपुर, उड़सुग्गी	परिचर्चा	बी.आर.सी., गढ़वा	55	
47	20.11.2015	खूंटी	रनिया	पीडुल, जयपुर, किशुनपुर	ग्रामसभा बैठक	एसजीवीवी	33	
48	25.11.2015	खूंटी		जयपुर, जापुट, ओरेंजटोली	ग्रामसभा बैठक	एसजीवीवी	37	
49	26.11.2015	खूंटी		डाहू	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	एसजीवीवी	37	
50	26.11.2015	खूंटी		कोटागैर, गोहरोम, डिगरी	नुक्कड़ सभा, टोला बैठक	एसजीवीवी	60	
51	27.11.2015	खूंटी		किशुनपुर, जयपुर, बलंगकेर	नुक्कड़ सभा, टोला बैठक	एसजीवीवी	63	
52	28.11.2015	खूंटी		गोईलकेरा, डाहू	नुक्कड़ सभा, टोला बैठक	एसजीवीवी	57	
53	01.12.2015	खूंटी	रनिया		कार्यशाला	एसजीवीवी	61	
54	22.11.2015	रांची	कांके	बाढ़ू, अरसंडे	नुक्कड़ सभा	आद्री		
55	28.11.2015	रांची	अनगड़ा	नवागढ़	नुक्कड़ सभा	आद्री		
56	28.11.2015	रांची	नामकुम	बड़ाम, हाहाप, हरामपुर	नुक्कड़ सभा	आद्री		
57	28.11.2015	रांची	ओरमांझी	चकला	नुक्कड़ सभा	आद्री		
58	28.11.2015	रांची		चुटुपालू	नुक्कड़ सभा	आद्री		
59	22.11.2015	रांची	बेड़ो	ईटा	नुक्कड़ सभा	आद्री		
60	05.12.2015	रांची	रातू	टुंडुल उत्तरी, एड़ेचेरो	नुक्कड़ सभा	आद्री		

क्र.सं.	दिनांक	जिला	प्रखंड	पंचायत	कार्यक्रम	सहयोगी संस्थान	प्रतिभागी संख्या	निष्कर्ष
61	12.12.2015	रांची	तमाड़	तमाड़ पूर्वी, परासी	नुक्कड़ सभा	आद्री		
62	22..11.2015	धनबाद	तोपचांची	गेंदनवाडी	परिचर्चा	आद्री		
63	22..11.2015	धनबाद	टुंडी	टुंडी, मैरानवाटांड़	नुक्कड़ सभा	आद्री		
64	28.11.2015	धनबाद	बाघमारा	पत्थरगड़िया, तेलमोचो	परिचर्चा	आद्री		
65	05.12.2015	धनबाद	बलियारपुर	बड़ादाहा, करमाटांड़	परिचर्चा	आद्री		
66	12.12.2015	धनबाद	गोविन्दपुर	बाघसुमा, रतनपुर	परिचर्चा	आद्री		
67	28.11.2015	दुमका	मसलिया	रांगा, दलही	परिचर्चा	आद्री		
68	05.12.2015	दुमका	जरमुंडी	चोरखेदा	नुक्कड़ नाटक	आद्री		
69	05.12.2015	दुमका	जामा	चिकनिया	परिचर्चा	आद्री		
70	05.12.2015	दुमका	सरैयाहाट	सरैया पंचायत	परिचर्चा	आद्री		
71	22.11.2015	साहेबगंज	पतना	तालझरी	ग्रामसभा बैठक	आद्री		
72	28.11.2015	साहेबगंज	तालझरी	कल्याणी	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	आद्री		
73	05.12.2015	साहेबगंज	साहेबगंज	रामपुर	प्रतिनिधि से सीधा संवाद	आद्री		
74	22.11.2015	पाकुड़	पाकुड़	इलामी, पोचाथोल	नुक्कड़ सभा, टोला बैठक	आद्री		
75	28.11.2015	पाकुड़	हिरणपुर	हाथकाठी	नुक्कड़ सभा, टोला बैठक	आद्री		
76	28.11.2015	पाकुड़	महेशपुर	महेशपुर पंचायत	नुक्कड़ सभा	आद्री		
77	05.12.2015	पाकुड़	अमरापाड़ा	अमरापाड़ा, संथाली, पांडेरकोला	नुक्कड़ सभा	आद्री		
78	05.12.2015	पाकुड़	लिट्टीपाड़ा	तालझरी, सूरजबेड़ा	नुक्कड़ सभा	आद्री		
79	22.11.2015	हजारीबाग	कटकमसांडी	रोमी, पेलावल	नुक्कड़ सभा	आद्री		
80	22.11.2015	हजारीबाग	हजारीबाग सदर	बहेरी, सिन्दूर	नुक्कड़ सभा	आद्री		
81	22.11.2015	देवघर	देवघर	संकरी पंचायत	नुक्कड़ सभा	आद्री		
82	28.11.2015	बोकारो	कसमार	पोंडा	नुक्कड़ सभा	आद्री		
83	06.11.2015	सरायकेला–खरसावां	ईचागढ़	नादीसई, टीकार, लेपाटांड़	नुक्कड़ सभा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	122	
84	07.11.2015	सरायकेला–खरसावां		लेपाटांड़, चिन्तिया, पटकुम	नुक्कड़ सभा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	111	
85	08.11.2015	सरायकेला–खरसावां	चांडिल	उरमाल, देओलटांड़, चौका, गुदड़ी, गोरांगकोटा, बांडुल	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	235	
86	09.11.2015	सरायकेला–खरसावां	ईचागढ़	तिरुलडीह, टूटा	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	223	
87	10.11.2015	सरायकेला–खरसावां		सोडो	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	23	
88	10.11.2015	सरायकेला–खरसावां	कुकरू	तिरूलडीह, कुकरू, चौदा	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	131	
89	11.11.2015	सरायकेला–खरसावां		कुकरू पंचायत, तिरुलडीह	नुक्कड़ नाटक	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	60	
90	13.11.2015	सरायकेला–खरसावां	चांडिल	धुनाबुरू, गोरांगी, चौरानमेगी, चैनपुर, खूंटी	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	140	

क्र.सं.	दिनांक	जिला	प्रखंड	पंचायत	कार्यक्रम	सहयोगी संस्थान	प्रतिभागी संख्या	निष्कर्ष
91	14.11.2015	सरायकेला–खरसावां	ईचागढ़	नांदीसई, उरमाल	परिचर्चा	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	110	
93	15.11.2015	सरायकेला–खरसावां	नीमडीह	अदारदी, चिंगरा, परंकीडीह, लकरी, तिला	ग्रामसभा बैठक	टीआरसीएससी, जमशेदपुर	148	
94	21.11.2015	सरायकेला–खरसावां	कुचई	चुरचुड, मारंगहातू	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
95	22.11.2015	सरायकेला–खरसावां	सरायकेला	गम्हरिया, राजनगर	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
96	20.11.2015	पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	तिलईटांड़	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
97	02.12.2015	पूर्वी सिंहभूम	राखा	झरिया	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
98	16.11.2015	पश्चिम सिंहभूम	टोंटो, झींकपानी	झींकपानी	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
99	17.11.2015	पश्चिम सिंहभूम	कुमारडुंगी	कुलाबुरू	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
100	18.11.2015	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
101	19.11.2015	पश्चिम सिंहभूम	मझगांव	नयागांव	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
102	24.11.2015	लोहरदगा	कैरो	गजनी	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर		
103	14.11.2015	कोडरमा	कोडरमा	पिपराडीह	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर, प्रदान		
104	15.11.2015	हजारीबाग	हजारीबाग सदर	हजारीबाग	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर, प्रदान		
105	22.11.2015	रांची	रांची, कांके	रांची	कार्यशाला	झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर, महिला सामाख्या		

पंचायत चुनाव 2015 : जिला परिषद
कुल पदों की संख्या

महिला	281	545
अन्य	264	

पंचायत चुनाव 2015 : जिला परिषद
निर्विरोध

खूंटी	महिला 2

पंचायत चुनाव 2015 : मुखिया
कुल पदों की संख्या : 4402

1. पूर्वी सिंहभूम	महिला	118	कुल : 231
	अन्य	113	
2. सरायकेला-खरसावां	महिला	70	कुल : 136
	पुरुष	66	
3. पश्चिम सिंहभूम	महिला	113	कुल : 217
	पुरुष	104	
4. रांची	महिला	157	कुल : 305
	पुरुष	148	
5. खूंटी	महिला	44	कुल : 86
	पुरुष	42	
6. गुमला	महिला	82	कुल : 159
	पुरुष	77	
7. रामगढ़	महिला	64	कुल : 125
	पुरुष	61	
8. बोकारो	महिला	131	कुल : 249
	पुरुष	118	
9. धनबाद	महिला	135	कुल : 256
	पुरुष	121	
10. जामताड़ा	महिला	61	कुल : 118
	पुरुष	57	
11. दुमका	महिला	107	कुल : 206
	पुरुष	99	
12. पाकुड़	महिला	65	कुल : 128
	पुरुष	63	
13. साहेबगंज	महिला	85	कुल : 166
	पुरुष	81	
14. गोड्डा	महिला	106	कुल : 201
	पुरुष	95	
15. देवघर	महिला	104	कुल : 194
	पुरुष	90	
16. गिरिडीह	महिला	186	कुल : 358
	पुरुष	172	
17. हजारीबाग	महिला	133	कुल : 257
	पुरुष	124	
18. चतरा	महिला	81	कुल : 154
	पुरुष	73	
19. लातेहार	महिला	60	कुल : 115
	पुरुष	55	
20. पलामू	महिला	145	कुल : 283
	पुरुष	138	
21. गढ़वा	महिला	95	कुल : 189
	पुरुष	94	
22. सिमडेगा	महिला	49	कुल : 94
	पुरुष	45	
23. लोहरदगा	महिला	35	कुल : 66
	पुरुष	31	
24. कोडरमा	महिला	58	कुल : 109
	पुरुष	51	

पंचायत चुनाव 2015 : मुखिया
खाली सीटें : 13

1. साहेबगंज	महिला	7	कुल : 010
	अन्य	3	
2. पाकुड़	महिला	2	कुल : 002
	अन्य	0	
3. सरायकेला-खरसावां	महिला	0	कुल : 001
	अन्य	1	

पंचायत चुनाव 2015 : मुखिया
निर्विरोध विजयी : 31

1. पूर्वी सिंहभूम	महिला	01	कुल : 01
	अन्य	00	
2. सरायकेला-खरसावां	महिला	05	कुल : 05
	पुरुष	00	
3. पश्चिम सिंहभूम	महिला	01	कुल : 02
	पुरुष	01	
4. रांची	महिला	03	कुल : 05
	पुरुष	02	
5. खूंटी	महिला	01	कुल : 01
	पुरुष	00	
6. गुमला	महिला	01	कुल : 01
	पुरुष	00	
7. रामगढ़	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
8. बोकारो	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
9. धनबाद	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
10. जामताड़ा	महिला	01	कुल : 02
	पुरुष	01	
11. दुमका	महिला	00	कुल : 01
	पुरुष	01	
12. पाकुड़	महिला	00	कुल : 01
	पुरुष	01	
13. साहेबगंज	महिला	02	कुल : 04
	पुरुष	02	
14. गोड्डा	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
15. देवघर	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
16. गिरिडीह	महिला	00	कुल : 01
	पुरुष	01	
17. हजारीबाग	महिला	02	कुल : 03
	पुरुष	01	
18. चतरा	महिला	02	कुल : 02
	पुरुष	00	
19. लातेहार	महिला	01	कुल : 01
	पुरुष	00	
20. पलामू	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
21. गढ़वा	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
22. सिमडेगा	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
23. लोहरदगा	महिला	00	कुल : 00
	पुरुष	00	
24. कोडरमा	महिला	01	कुल : 01
	पुरुष	00	

पंचायत चुनाव 2015 : पंचायत समिति
कुल पदों की संख्या : 5423

1. पूर्वी सिंहभूम	महिला	145	कुल : 275
	पुरुष	130	
2. सरायकेला-खरसावां	महिला	90	कुल : 117
	पुरुष	87	
3. पश्चिम सिंहभूम	महिला	137	कुल : 267
	पुरुष	130	
4. रांची	महिला	191	कुल : 365
	पुरुष	174	
5. खूंटी	महिला	50	कुल : 100
	पुरुष	50	
6. गुमला	महिला	100	कुल : 192
	पुरुष	92	
7. रामगढ़	महिला	75	कुल : 147
	पुरुष	72	
8. बोकारो	महिला	153	कुल : 294
	पुरुष	141	
9. धनबाद	महिला	152	कुल : 295
	पुरुष	143	
10. जामताड़ा	महिला	76	कुल : 145
	पुरुष	69	
11. दुमका	महिला	132	कुल : 251
	पुरुष	119	
12. पाकुड़	महिला	87	कुल : 169
	पुरुष	82	
13. साहेबगंज	महिला	106	कुल : 207
	पुरुष	101	
14. गोड्डा	महिला	130	कुल : 252
	पुरुष	122	
15. देवघर	महिला	132	कुल : 246
	पुरुष	114	
16. गिरिडीह	महिला	239	कुल : 466
	पुरुष	227	
17. हजारीबाग	महिला	167	कुल : 317
	पुरुष	150	
18. चतरा	महिला	105	कुल : 199
	पुरुष	94	
19. लातेहार	महिला	74	कुल : 142
	पुरुष	68	
20. पलामू	महिला	190	कुल : 359
	पुरुष	169	
21. गढ़वा	महिला	125	कुल : 245
	पुरुष	120	
22. सिमडेगा	महिला	56	कुल : 111
	पुरुष	55	
23. लोहरदगा	महिला	44	कुल : 81
	पुरुष	37	
24. कोडरमा	महिला	66	कुल : 121
	पुरुष	55	

पंचायत चुनाव 2015 : पंचायत समिति
खाली सीटें : 18

1. चतरा	महिला	0	कुल : 001
	अन्य	1	
2. साहेबगंज	महिला	4	कुल : 006
	अन्य	2	
3. पाकुड़	महिला	1	कुल : 003
	अन्य	2	
4. दुमका	महिला	0	कुल : 001
	अन्य	1	
5. बोकारो	महिला	0	कुल : 001
	अन्य	1	

पंचायत चुनाव 2015 : पंचायत समिति
निर्विरोध

महिला	211	कुल : 291
पुरुष	82	

पंचायत चुनाव 2015 : वार्ड सदस्य
कुल पदों की संख्या

महिला	28,630	कुल : 54,330
अन्य	25,700	

पंचायत चुनाव 2015 : वार्ड सदस्य
खाली सीटें : 1522

1. पूर्वी सिंहभूम	महिला	200	कुल : 295
	पुरुष	95	
2. सरायकेला-खरसावां	महिला	132	कुल : 200
	पुरुष	68	
3. पश्चिम सिंहभूम	महिला	39	कुल : 066
	पुरुष	27	
4. रांची	महिला	85	कुल : 132
	पुरुष	47	
5. खूंटी	महिला	30	कुल : 049
	पुरुष	19	
6. गुमला	महिला	66	कुल : 101
	पुरुष	35	
7. रामगढ़	महिला	37	कुल : 062
	पुरुष	25	
8. बोकारो	महिला	46	कुल : 073
	पुरुष	27	
9. धनबाद	महिला	56	कुल : 077
	पुरुष	21	
10. जामताड़ा	महिला	17	कुल : 026
	पुरुष	9	
11. दुमका	महिला	27	कुल : 058
	पुरुष	31	
12. पाकुड़	महिला	33	कुल : 057
	पुरुष	24	
13. साहेबगंज	महिला	48	कुल : 91
	पुरुष	43	
14. गोड्डा	महिला	25	कुल : 035
	पुरुष	10	
15. देवघर	महिला	6	कुल : 017
	पुरुष	11	
16. गिरिडीह	महिला	71	कुल : 113
	पुरुष	42	
17. हजारीबाग	महिला	5	कुल : 012
	पुरुष	7	
18. चतरा	महिला	7	कुल : 013
	पुरुष	6	
19. लातेहार	महिला	17	कुल : 028
	पुरुष	11	
20. पलामू	महिला	9	कुल : 010
	पुरुष	1	
21. गढ़वा	महिला	2	कुल : 002
	पुरुष	0	
22. सिमडेगा	महिला	1	कुल : 002
	पुरुष	1	
23. लोहरदगा	महिला	3	कुल : 003
	पुरुष	0	
24. कोडरमा	महिला	0	कुल : 000
	पुरुष	0	

पंचायत चुनाव 2015 : वार्ड सदस्य
निर्विरोध : 20,773

1. पूर्वी सिंहभूम	महिला	648	कुल : 1116
	पुरुष	468	
2. सरायकेला-खरसावां	महिला	501	कुल : 860
	पुरुष	359	
3. पश्चिम सिंहभूम	महिला	1117	कुल : 1841
	पुरुष	724	
4. रांची	महिला	1070	कुल : 1831
	पुरुष	761	
5. खूंटी	महिला	377	कुल : 658
	पुरुष	281	
6. गुमला	महिला	679	कुल : 1176
	पुरुष	497	
7. रामगढ़	महिला	305	कुल : 541
	पुरुष	236	
8. बोकारो	महिला	442	कुल : 745
	पुरुष	303	
9. धनबाद	महिला	597	कुल : 971
	पुरुष	374	
10. जामताड़ा	महिला	370	कुल : 602
	पुरुष	232	
11. दुमका	महिला	669	कुल : 1084
	पुरुष	415	
12. पाकुड़	महिला	297	कुल : 479
	पुरुष	182	
13. साहेबगंज	महिला	286	कुल : 526
	पुरुष	240	
14. गोड्डा	महिला	465	कुल : 791
	पुरुष	326	
15. देवघर	महिला	360	कुल : 600
	पुरुष	240	
16. गिरिडीह	महिला	964	कुल : 1660
	पुरुष	696	
17. हजारीबाग	महिला	696	कुल : 1166
	पुरुष	470	
18. चतरा	महिला	428	कुल : 728
	पुरुष	300	
19. लातेहार	महिला	408	कुल : 665
	पुरुष	257	
20. पलामू	महिला	508	कुल : 830
	पुरुष	322	
21. गढ़वा	महिला	251	कुल : 393
	पुरुष	142	
22. सिमडेगा	महिला	382	कुल : 651
	पुरुष	269	
23. लोहरदगा	महिला	236	कुल : 380
	पुरुष	144	
24. कोडरमा	महिला	279	कुल : 479
	पुरुष	200	

निर्विरोध की राजनीति

हाल ही में सम्पन्न हुए झारखंड पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह कोई विलक्षण घटना नहीं है, पहले भी गोल निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में इस बार लोग निर्वाचित हुए हैं वह अवश्य चौंकाने वाला है जो झारखंड समाज की बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का परिणाम लगता है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आवस्यक है कि निर्विरोध की इस राजनीति का थोड़ा विश्लेषण किया जाये।

भारतीय लेकतांत्रिक व्यवस्था में 'ग्राम' को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई माना गया है। फलस्वरूप ग्राम पंचायत शासन की सबसे जमीनी इकाई है। इसमें मुखिया का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में आम चुनाव के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। चुनाव लोगों के सामने उम्मीदवारों के माध्यम से भावी मुखिया का विकल्प प्रस्तुत करता है। जिसमें से वह अपनी पसंद के विकल्प को मत देकर अपने गांव का प्रतिनिधि चुनता है। निर्विरोध चुनाव विकल्प के अभाव को दर्शाता है। यह तभी सम्भव है जब उस गांव का प्रत्येक मतदाता और इच्छुक उम्मीदवार एक मत से एक व्यक्ति विशेष में अपना विश्वास व्यक्त करता है। गांव में अकसर गांव वालों की नजर में जो ईमानदार हो जिसे ग्रामीण योग्य समझते हैं उन्हें परस्पर बातचीत कर निर्विरोध मुखिया चुन लिया जाता है। यह भारतीय राजनीति की एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन कई बार कृत्रिम रूप से ऐसी परिस्थित का निर्माण किया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उम्मीदवार बन ही न सके। ऐसा निम्न परिस्थितियों में होता है–

1. व्यक्ति उस गांव का दबंग हो तो अन्य व्यक्ति डरकर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं होता है।
2. उस गांव विशेष एक जाति विशेष का दबदबा हो तो उस परिस्थिति में अन्य जाति के उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाता है।
3. जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग गांव में उम्मीदवार नहीं बन पाते है।
4. सम्पन्न उम्मीदवार पैसे का लालच देकर अपने खिलाफ खड़े व्यक्ति को अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेने पर मना लेते हैं।
5. पंचायत चुनाव सम्पन्न करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी की होती है। कई स्थानों पर देखा गया है कि अधिकारी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को जिताने के लिये नामांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ कुछ दस्तावेज जमा करना होता है, जैसे– जाति प्रमाण पत्र। अधिकारी इसे निर्गत करने में देर कर किसी व्यक्ति विशेष को उम्मीदवार बनने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार नामांकन पत्र में त्रुटि ढूंढकर उसका नामांकन रद्द किया जाता है। कई स्थानों पर इस चुनाव में भी अधिकारी की मदद से यह खेल खेला गया। कुछ घटनाओं की सूचना समय पर मिल जाने के कारण मंथन युवा संस्थान और झारखंड पंचायत रिसोर्स सेंटर के सदस्यों ने झारखंड चुनाव अधिकारियों की मदद से हस्तक्षेप कर इस प्रकार के अन्याय रोका।
6. सामुदायिकता आज भी अनेक सामाजिक, आर्थिक बदलाव के बावजूद आदिवासी समाज के जीवन में रमा–बसा है। आज भी मिल–बैठकर आपसी सहमति से किसी निर्णय पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इस चुनाव में सामुदायिकता के सकारात्मक व नकारात्म पहलू समान रूप से उभर कर सामने आये। अनेक आदिवासी युवा अपनी अच्छी–खासी आय वाली नौकरी छोड़कर इस चुनाव में भाग लेने आये। ग्रामीण आदिवासी समाज में बाहें फैलाकर इन युवाओं का स्वागत किया और उन लोगों को निर्विरोध विजयी बनाया। लगभग गांव से कटे रहने वाले युवाओं द्वारा अपने गांव का विकास करने हेतु अपने को समर्पित करना, ग्रामीणों द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना पंचायत चुनाव का सकारात्मक पहलू है। लेकिन सामुदायिकता का नकारात्मक पहलू भी इस चुनाव में उभर कर सामने आया। समुदाय द्वारा समर्पित उम्मीदवार के विरुद्ध अगर किसी ने खड़े होने की हिम्मत भी की तो कुछ स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा इसका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। तो कहीं–कहीं पर नकद जुर्माना भी लगाया गया। कुछ स्थानों पर मामला हिंसक भी हो गया। जिससे चुनाव से पहले कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

संथान परगना और कोयलांचल की अनेक पंचायतों में किसी ने नामांकन नहीं किया। आसानी से जागरूकता का अभाव इसका कारण बताया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। रोजगार के लिये शहरों में युवाओं का पलायन झारखंड में आम है। गांव में बुजुर्ग, अपाहिज और कुछ सम्पन्न लोग रह जाते हैं। वे आसानी से निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। आरक्षित सीट की स्थिति में अपनी पसंद के उम्मीदवार को खड़ाकर आसानी से जिता देते हैं। लेकिन जहां तथाकथित सम्पन्न लोग नहीं होते हैं, वो सीट खाली रह जाती है। उपर्युक्त कारणों के अलावा सरकार की गलत नीतियां भी कुछ स्थानों पर कुछ उम्मीदवारों को निर्विरोध मुखिया बना देती हैं। कुछ गांवों में मात्र एक या दो आदिवासी दलित परिवार हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की नासमझी के कारण उस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है, इस परिस्थिति में सरकार स्वतः ग्रामीणों से उम्मीदवारी का विकल्प छीन लेती है। इससे मात्र निर्विरोध उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होती है।

आरक्षण

संविधान निर्माताओं ने आरक्षण के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आदिवासी, दलित की समुचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस सकारात्मक विबेद का और फैलाव करते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों ने पंचायत में पचास फीसदी सीट महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिया। सरकार के इस फैसले का प्रत्यक्ष प्रभाव पारम्परिक भारतीय राजनीति के साथ–साथ सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। इनमें से कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक ट्रैंड समाज के मुंह पर चस्पां हैं जिसका दूरगामी प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा।

2015 में झारखंड में सम्पन्न पंचायत चुनाव में 57 फीसदी से कुछ ज्यादा महिलाएं चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकीं। यह परिणाम किसी भी स्वस्थ समाज के लिये गर्व का विषय हो सकता है। महिला आरक्षण ने वर्षों से ग्रसित सामाजिक मर्यादाओं की जकड़न को थोड़ा सा ही सही ढीला अवश्य किया है। जिसे परिवार के पुरुष सदस्यका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ। सुखद आश्चर्य था मुस्लिम महिलाओं की इस चुनाव में भागीदारी, अपनी गैर मुस्लिम बहनों की भांति चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे चुनाव प्रचार, पुरुष सदस्यों के साथ उनका कदम ताल राजनीति में ठंडी हवाओं के झोंकों–सा लगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है जो हमें जाति, धर्म, नस्ल के बंधन से परे, आम नागरिक के कर्तव्य के निर्वहन की प्रेरणा देती है। चुनाव में महिला उम्मीदवारों का उनके परिवार के सदस्यों का समर्थन विशेषकर उनके पतियों का समर्थन कुछ अपवादों को छोड़कर पुरुष धूर्त मानसिकता का भौड़ा प्रदर्शन सा लगा। यकीन मानिए, आने वाले समय् में अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी 'सरपंच पति' शब्द पुरुष शान का प्रतीक बन जायेगा।

जाति आधारित आरक्षण ने ग्रामीण अंचलों में जाति सम्बंधों को कहीं झंकझोरा तो कहीं नये गठजोड़ के लिये समाज को बाध्य किया तथा कुछ स्थानों पर वर्षों पुराने घाव को इस चुनाव ने हरा कर दिया। परिणाम सामाजिक बहिष्कार तथा कुछ स्थानों पर हिंसा के रूप में प्रकट हुआ। कुछ आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के मतदाताओं में चुनाव के प्रति उदासीनता भी देखी गयी। सामान्य वर्ग के इन मतदाताओं को लगता था कि उन्हें इस चुनाव से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

सामान्य/आरक्षित सीटों पर कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या भी पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा थी। इससे पुरुषों में राजनीतिक वर्चस्व को काफी बड़ी चुनौतियां मिलीं। पुरुषों ने इस चुनौती को स्वीकार कर राजनीति के अजीबोगरीब दांव–पेंच आजमाएं। विशेषकर उन पंचायतों में जहां 2010 में उनका वर्चस्व था, लेकिन अब वह मलिहाओं के लिये आरक्षित हो गया, वहां पूर्व के पुरुष प्रतिनिधियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिये अपने परिवार की महिलाओं, विशेषकर पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारा। इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त वंशानुगत राजनीति का जमीनी विस्तार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति अपने परिवार की राजनैतिक वर्चस्व को कायम रखने और उसे आगे बढ़ाने के क्रम में वंशवाद की राजनीति का जन्म होता है। पंचायत चुनाव में आरक्षण ग्रामीण स्तर पर वंशवाद की पुरुष प्रधान राजनीति ने महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित सुनिश्चित करता है। यह भारतीय राजनीति का एक नया पहलू है। जिसका विस्तृत अध्ययन किया जाना अभी बाकी है।

वैसे भारतीय जनमानस वंशवाद की राजनीति का इतना आदी हो चुका है, उसे इसमें कुछ भी अनोखा नहीं लगता है। विदेशी लेख कौतूहल से भारतीय राजनीति के इस आयाम का आकलन करने में लगे हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच काफी जोड़–घटाव कर इस नतीजे पर पहुंचे कि आगामी कुछ वर्षों में पूरे भारत की राजनीति सौ सवा सौ परिवारों तक सीमित हो जायेगी। नरेन्द्र मोदी जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति के भारतीय राजनीति के शीर्ष तक की यात्रा पैट्रिक फ्रेंच के आकलन को मुंह चिढ़ाता प्रतीत होता है।

यहां हरियाणा के मेवाट जिला के अकलिमपुर गांव के दीन मोहम्मद की कहानी की जिक्र अवश्य करना चाहेंगे। दीन मोहम्मद अकलिमपुर के 2010 में सरपंच चुने गये थे। 2015 में अकलिमपुर सीट महिलाओं के लिये आरक्षित कर दी गयी। दीन मोहम्मद ने अपना वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को चुनाव में लड़ाने का फैसला किया, लेकिन हाय री किस्मत, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिये चुनाव लड़ने की योग्यता आठवीं पास होना अनिवार्य कर दिया। दीन मोहम्मद की पत्नी अनपढ़ थी और उनके परिवार में कोई भी महिला सदस्य आठवीं पास नहीं थी। दीन मोहम्मद हार मानने वाला शख्स नहीं था। अतः इस 47 वर्षीय आठ बच्चों के पिता ने सिर्फ चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली।

दीन मोहम्मद के इसकृत्य को आरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम समझना चाहिए अथवा वंशानुगत राजनीतिक वर्चस्व को आगे बढ़ाने की उसकी समझ का परिणाम है। 2020 के चुनाव में संभवतया इस प्रकार के राजनीतिक उदाहरण झारखंड में भी देखने को मिलेंगे।

उपरोक्त चुनाव नतीजे चौंकाते हैं, यह श्वेत–श्याम तस्वीर कुछ भेद खोलती सी नजर आती है। एक तरफ सफल प्रत्याशियों की विशाल तादाद सुकून देती है, दूसरी तरफ 1553 खाली सीटें, जिसमें किसी भी नागरिक ने उम्मीदवारी या प्रत्याशी के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसे अनभिज्ञता कहें या डर।दो कारण स्पष्ट नजर/समझ आते हैं। पहला– आरक्षण, जिसमें आदिवासी, दलित महिलाओं केलिये कोटिवार सुरक्षित/आरक्षित कर दिया। परिसीमन भी एक अन्य कारण हो सकता है, सरकीर विभागीय त्रुटि के कारण आरक्षित सीट के क्षेत्र में कोई भी आदिवासी या दलित की संख्या नगण्य हो के कारण कोई भी उम्मीदवार नामांकन नहीं कर सके। दूसरी बहुत बड़ा कारण किसी संभ्रांत या दबंग के दबाव में किसी ने खड़े होने की जरूरत नहीं उठायी।

73वें सांविधानिक संशोधन में सबी राज्यों ने अपने–अपने अधिनियम बनाकर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण में भागीदारी तो मिल जाती है, लेकिन उनका सशक्तीकरण नहीं हो पाया है। जब तक ग्रामीणों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्खित संरचना में बदलाव नहीं लाया जाता तब तक उन पर प्रभुत्व दबंद वर्गों का बना रहेगा।